झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची।

किमिनल एम0पी0 संख्या–25 वर्ष 2021

मोख्तार अंसारी .... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

झारखण्ड राज्य .... विपक्षी पक्ष

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री आनन्दा सेन**

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम स

याचिकाकर्त्ता के लिए :– श्री बिरेन्द्र कुमार, अधिवक्ता।

राज्य के लिए :– श्री विश्वनाथ राय, ए0पी0पी0।

5 / 09.03.2021 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित याचिकाकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अधिवक्ता को कार्यवाही के संबंध में कोई आपत्ति नहीं है जो आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई है। उनकी ऑडियो और वीडियो स्पष्टता और गुणवत्ता के संबंध में कोई शिकायत नहीं है।

2. याचिकाकर्त्ता ने मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, पलामू द्वारा डाल्टनगंज (टी) थाना काण्ड संख्या 184 / 2018 (जी0आर0 संख्या 1288 / 2018) में पारित दिनांक 09.11. 2020 के आदेश को चुनौती दी है, जिसके द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत प्रक्रियाएं जारी की गई हैं।

3. याचिकाकर्त्ता की ओर से पेश अधिवक्ता ने कहा कि केवल इसलिए कि आरोपी पुलिस के सामने पेश नहीं हो रहा है और जांच में सहयोग नहीं कर रहा है, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत प्रक्रियाएं जारी की गई हैं। उन्होनें कहा कि आक्षेपित आदेश बिल्कुल गैर–बोलने वाला और बुरा है। तारीख और समय जब याचिकाकर्त्ता को आक्षेपित आदेश के संदर्भ में प्रकट होना है, का भी उल्लेख नहीं किया गया है।

4. मैनें आक्षेपित आदेश को देखा है। आक्षेपित आदेश में कोई व्यक्तिपरक संतुष्टि नहीं है कि अदालत इस निष्कर्ष पर कैसे पहुँची कि याचिकाकर्त्ता खुद को छिपा रहा है या फरार है जिससे वारंट को निष्पादित नहीं किया जा सका है। केवल यह लिखकर कि याचिकाकर्त्ता जांच में सहयोग नहीं कर रहा है या वह पुलिस के सामने पेश नहीं हो रहा है, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 का पर्याप्त अनुपालन नहीं है। इसके अलावा, आक्षेपित आदेश से मुझे पता चलता है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के अनिवार्यता के अनुसार कोई तारीख और समय का उल्लेख नहीं किया गया है ताकि याचिकाकर्त्ता उस विशेष तिथि को उपस्थित हो सके। आपराधिक प्रक्रिया संहिता की अनुसूची के प्रपत्र-IV के अवलोकन से, जो आक्षेपित आदेश के अनुसार जारी किया गया है, मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण कॉलमो को खाली रखा गया है। याचिकाकर्त्ता के आने की तारीख को भी खाली रखा गया है। इस प्रकार, दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रपत्र-IV और आक्षेपित आदेश को भरा/पारित किया गया है, कानून के अनिवार्य प्रावधानों की अनदेखी करते हुए और जो मो0 रूस्तम आलम उर्फ रूस्तम और अन्य बनाम झारखण्ड राज्य 2020 (2) जे0एल0जे0आर0 712 में रिपोर्ट की गई है, में न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की

अनदेखी करते हुए, जिसे पहले ही राज्य के सभी न्यायिक अधिकारियों को परिचालित किया गया था। इस तरह के प्रचलन के बावजूद, इस प्रकार के आदेश न्यायिक अधिकारियों द्वारा बार–बार पारित किए जा रहे हैं।

5. उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा डाल्टनगंज (टी) थाना काण्ड संख्या 184/2018 (जी0आर0 संख्या 1288/2018) में दिनांक 09.11.2020 को पारित आक्षेपित निर्णय को इसके द्वारा अपास्त किया जाता है। मो0 रूस्तम आलम उर्फ रूस्तम और अन्य बनाम झारखण्ड राज्य जो जे0एल0जे0आर0 2020 (2) 712 में रिपोर्टेड है, में इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के संदर्भ में और विधि के अनुरूप नए आदेश को पारित करने के लिए इस मामला को निचली अदालत को भेज दिया जाता है।

6. महानिबंधक को निर्देश दिया जाता है कि वह इस आदेश की एक प्रति माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखें।

(आनन्दा सेन, न्याया0)